FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री विजयलाल सुहालका व अन्य	**बनाम**	श्रीमती गरीमा धींग व अन्य

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 14 / 2014 अवमानना प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
06.04.2026	वकील उभयपक्ष उपस्थित। इस प्रकरण में याची द्वारा अयाचीगण के विरूद्ध एक अवमानना याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में एक अपील प्रार्थी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 24 / 2023 में अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.06.2023 को जारी हुआ, जिसकी पालना अयाचीगण द्वारा नहीं की है। अतएवं उनके विरूद्ध कडी से कडी कानूनी कार्यवाही की जावें तथा 3 माह का कारावास एवं विवादित भूमि भू–खण्ड को न्यायालय अपने कब्जे में लेकर निलामी कार्यवाही की जावें। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर उपस्थित याची एवं अयाचीगणों की बहस सुनी गई तथा याची द्वारा लिखित बहस पेश की गई। अयाची संख्या 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। याची द्वारा अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि आप न्यायालय में सुनवाई के बाद भी उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विवादित भूमि पर भू–खण्ड विक्रय हेतु नक्शा पास करने के पश्चात् याची की मालीकाना हक की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद भी श्री कालुलाल जैन द्वारा षड़यंत्र पूर्वक भू–खण्डों का विक्रय कर दिया। न्यायालय में लम्बित अपील के समय संभागीय आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 19.06.2023 को स्थगन आदेश में मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। स्थगन आदेश		

	प्रारंभ दिनांक 19.06.2023 से दिनांक 18.09.2023 की अवधि में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी पट्टे में एक विवादित भू–खण्ड की रजिस्ट्री दिनांक 18.09.2023 को अयाची संख्या 1 द्वारा अयाची संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित कराई गई है। अतः उक्तानुसार अयाचीगण द्वारा उक्त स्थगन आदेश दिनांक 19.06. 2023 की अवहेलना की गई है। अतः उक्तानुसार याची का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अयाचीगण के विरूद्ध कडी से कडी कानूनी कार्यवाही की जावें तथा 3 माह का कारावास एवं विवादित भूमि भू–खण्ड को न्यायालय अपने कब्जे में लेकर निलामी कार्यवाही करावें। अयाची संख्या 1 व 3 द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण से संबंधित मूल अपील खारिज हो चुकी है, तो अवमानना की कार्यवाही नहीं चल सकती है तथा वक्त स्थगन आदेश अयाची संख्या 1 व 3 मूल अपील में पक्षकार नहीं होने से उक्त स्थगन आदेश उन पर लागू नहीं होकर न्यायालय आदेश की अवमानना नहीं की गई है। अवमानना की कार्यवाही में आदेश 39 नियम 2 ए के प्रावधानों की पालना नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः उक्तानुसार याची की याचिका खारिज किये जाने बाबत निवेदन किय गया। अयाची संख्या 4 द्वारा अपनी बहस में बताया कि उदयपुर विकास प्राधिकारण, उदयपुर आप न्यायालय के आदेश की पालना करने हेतु हमेशा तैयार रहता है तथा उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा आप न्यायालय के आदेश की कोई अवमानना नहीं की है, जो भी कार्यवाही की है, वह विधि अनुसार की गई है। जब मूल अपील ही खारिज हो चुकी है, तो अवमानना की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अवमानना की कार्यवाही में आदेश 39 नियम 2 ए के प्रावधानों की पालना नहीं होने से खारिज योग्य है। अवमानना की कार्यवाही व्यक्तिशः होती है, जबकि याची द्वारा उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर को पक्षकार बनाया गया है,		

	उचित नहीं होकर याची की याचिका खारिज किये जाने योग्य है। अतः उक्तानुसार याची की याचिका खारिज किये जाने बाबत निवेदन किय गया। अवमानना प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल अपील संख्या 24/2023 में दौराने स्थगन आदेश दिनांक 19.06.2023 में अयाची संख्या 1 से 3 पक्षकार नहीं होने से उन पर उक्त अवमानना याचिका लागु नहीं होती है तथा याची द्वारा अयाची संख्या 4 उदयपुर विकास प्राधिकरण को पक्षकार संयोजित किया गया है, जबकि अवमानना याचिका व्यक्तिशः नामजद प्रस्तुत करनी होती है तथा इसके अतिरिक्त किसी भी अवमानना याचिका प्रकरण में उक्त अवमानना याचिका सिद्ध किये जाने का दायित्व याची का होता है। प्रकरण में अयाचीगण द्वारा खण्डन में अवमानना नहीं किये जाने का उल्लेख किया है। प्रकरण में अपनी याचिका को सिद्ध करने के लिए याची को अनेक अवसर दिये गये। अंततः दिनांक 01.04.2026 को याची द्वारा अपनी साक्ष्य जिरह के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे बिना जिरह याची की साक्ष्य को विधिक रूप से पढ़ा नहीं जा सकता। वकील याची द्वारा अपनी याचिका में वर्णित तथ्यों जिसमें स्थगन आदेश का उल्लंघन किये जाने का वर्णन किया है, परन्तु उसे दौराने बहस प्रमाणित करने के लिए कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। याची द्वारा उक्त अवमानना याचिका को सिद्ध नहीं किया जा सका है, अतएवं अवमानना याचिका सारहीन होने से खारिज की जाती है।		